न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी : कौशल्या बिश्नोई, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं 370 / 2024

सुभाषचन्द्र बनाम किशन कुमार वगै०

सुभाषचन्द्र पुत्र पालाराम जाति जाट निवासी घुमनसर खुर्द तहसील चिडावा जिला झुन्झुनूं जरिये मुख्तयार आम सुभाष बुन्देला पुत्र बृजलाल बुन्देला जाति खटीक निवासी वार्ड 12 बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू ।

—वादी

बनाम

1. किशन कुमार पुत्र बंशीधर
2. देवकीनन्दन पुत्र बंशीधर
3. विमल कुमार पुत्र बंशीधर
4. शिवकुमार पुत्र बंशीधर
5. सीता देवी पुत्री बंशीधर
6. भूपेन्द्र पुत्र ग्यारसीलाल
7. मनोज स्वामी पुत्र ग्यारसीलाल
8. संजय स्वामी पुत्र ग्यारसीलाल
9. लता पुत्री ग्यारसीलाल
10. संतरा देवी पत्नी ग्यारसीलाल
11. गजानन्द पुत्री भानीराम
12. मोहनलाल पुत्र भानीराम
13. शारदा देवी पुत्री भानीराम

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

14. घडसीराम पुत्र नोलदास

समस्त जाति स्वामी निवासी वार्ड 3 जाटावास बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू ।

15. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू ।

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

विवेचन

वादी द्वारा वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 243 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 244 रकबा 1.1900 हैक्टर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.1000 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.3300 हैक्टर अवस्थित है। वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 14 अपनी अपनी सहुलयित के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। उक्त वर्णित कृषि भूमि धारा 1 को वादी ने दिनांक 30.11.2018 कों जेशराज पुत्र मदनलाल जाति स्वामी निवासी बगड से कय की थी जिसके पश्चात वादी के नाम नामान्तकरण भरा गया था जिसके अनुसार वादी अपनें 1/6 हिस्से की कृषि भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादी अपने 1/6 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा वादी ने प्रतिवादीगण से खाता विभाजन करवाने के लिए कहा परन्तु प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 14 ने वादी का विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया तथा वादी को उसकी कब्जें काश्त की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। इस कारण बादी को माननीय न्यायाल के समक्ष वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

उपर्युक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 23.06.2025 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुंझुनूं से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/1867 दिनांक 14.08.2025 के द्वारा न्यायालय में पेश किये। वादी की ओर से अधिवक्ता मो० अनीश व दलीप कुमार सैनी उपस्थित। वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर की। बहस पत्रावली पर सुना जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर न्यायसंगत प्रतीत होता है। लिहाजा :—

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

—: निर्णय :—

वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 243 रकबा 0.0400 हैक्टर खसरा, नम्बर 244 रकबा 1.1900 हैक्टर खसरा नम्बर 245 रकबा 0.1000 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.3300 हैक्टर कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कौशल्या बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी :– कौशल्या बिश्नोई, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं 370 / 2024 निर्णय दिनांक : 06.10.2025

सुभाषचन्द्र बनाम किशन कुमार वगै०

वादी की ओर से अधिवक्ता मो० अनीश व दलीप कुमार सैनी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 06.10.2025 को कौशल्या बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनू की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 243 रकबा 0.0400 हैक्टर खसरा, नम्बर 244 रकबा 1.1900 हैक्टर खसरा नम्बर 245 रकबा 0.1000 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.3300 हैक्टर कृषि भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)
(कौशल्या बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

झुन्झुनू (राज.) उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	2 2 1000	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1
योग	1004	योग	1

(कौशल्या बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)